



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1943 (श0)

(सं0 पटना 886) पटना, बुधवार, 27 अक्टूबर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

27 अक्टूबर 2021

अधिसूचना संख्या 13-2021/राज्य-कर (दर)

एस० ओ० 158 दिनांक 27 अक्टूबर 2021— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा,

वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 243 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 452 त के सामने, कॉलम (3) में, "सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर माल के संबंध में शब्दों का निरसन किया जाएगा।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-13)13)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

27 अक्टूबर 2021

एस० ओ० 158 दिनांक 27 अक्टूबर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)13)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 27th October 2021**Notification No.13/2021- State Tax (Rate)**

S.O. 158, Dated 27th October 2021—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule II – 6%, S. No. 243 and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule III – 9%, against S. No. 452P, in column (3), the words “in respect of Information Technology software” shall be omitted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part13) 13]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 886-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>